संख्या: 18/2026/ 1383 /तीस-1-2025-5(32)/2014

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 24 फरवरी, 2026

विषय: बस स्टेशन चित्रकूट के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1252बी/डीए/पूर्व/25-62जेईटी/वि0/14-15, दिनांक 25.11.2025 एवं पत्र संख्या-82बी/डीए/पूर्व/26-62जेईटी/वि0/14-15, दिनांक 22.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/538/तीस-1-2015-5(32)/2014, दिनांक 30.03.2015 द्वारा बस स्टेशन चित्रकूट के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 947.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कतिपय शर्तों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-10/2017/261/तीस-1-2017-5(32)/2014, दिनांक 31.03.2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 234.24 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-19/2018/54/तीस-1-2018-5(32)/2014, दिनांक 24.05.2018 द्वारा रू0 438.24 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-01/2020/1450/तीस-1-2019-5(32)/2014, दिनांक 03.02.2020 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1017.35 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 19.38 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू0 966.49 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है । उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-_संख्या: 19 /2022/962/तीस-1-2021-5(32)/2014, दिनांक 31.03.2022 द्वारा पंचम एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.86 लाख अवमुक्त की गयी। बस स्टेशन चित्रकूट के निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ (उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,) को कार्यदायी संस्था नामित है ।

2- प्रश्नगत परियोजना के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-754बी/डीए/पूर्व/22-62जेईटी/वि0/14-15, दिनांक 15.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि बस स्टेशन चित्रकूट के निर्माण कराये जाने हेतु संख्या: 19 /2022/962/तीस-1-2021-5(32)/2014, दिनांक 31.03.2022 द्वारा पंचम एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.86 लाख अवमुक्त की गयी थी, जो आहरित नहीं की जा सकी। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2022 को निरस्त समझा जाये।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त अद्यतन पत्र दिनांक 22.01.2026 के संदर्भ में प्रकरण बस स्टेशन चित्रकूट के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1017.35 लाख के सापेक्ष निविदा लागत के आधार पर आंकलित लागत की धनराशि रू0 1009.14 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, सेन्टेज चार्जेज, सर्विस टैक्स वाणिज्य कर तथा वाह्य विद्युत संयोजन सहित) में से अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 966.49 लाख को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय किये जाने हेतु पंचम एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 42.65 लाख (रू० बयालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम को होगा।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(13) परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करें कि कार्य की निविदा लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाये।

(14) परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।

(15) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-18/538/तीस-1-2015-5(32)/2014, दिनांक 30.03.2015,शासनादेश संख्या-10/2017/261/तीस-1-2017-5(32)/2014, दिनांक 31.03.2017, शासनादेश संख्या-19/2018/54/तीस-1-2018-5(32)/2014, दिनांक 24.05.2018, एवं शासनादेश संख्या-01/2022/1450/तीस-1-2019-5(32)/2014, दिनांक 03.02.2020 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या- E-9-266-X-2025-26- दिनांक: 16-2-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:   /2026/1383(1)/तीस-1-2025-5(32)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।
5. निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गाई फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।